

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
खान निदेशालय

पत्रांक:-ख0नि0(विविध)-95 / 2018 1469 / एम0, राँची, दिनांक-20/10/2020

प्रेषक,

मुकुल प्रसाद
प्रभारी निदेशक, खान।

सेवा में,

सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी
झारखण्ड।

विषय :- "झारखण्ड खनिज धारित भूमि (Covid-19 pandemic) सेस नियमावली, 2020" के नियम-9 के आलोक में खोले गये Covid-19 pandemic fund के संबंध में।

प्रसंग- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक 2665 दिनांक 29.09.2020

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि "झारखण्ड खनिज धारित भूमि (Covid-19 pandemic) सेस नियमावली, 2020" की कंडिका-11 में अंकित तथ्य "The Assistant Mining Officer/District Mining Officer of the respective districts as defined in Rule 6 shall maintain an electronic register of the amount payable and paid by each holder and furnish the monthly consolidated statement thereof to the Member Secretary-cum-Coordinator of the Governing Body as defined in Rule 7 at the end of every month." एवं कंडिका-6(2) में अंकित तथ्य "The Assistant Mining Officer/ District Mining Officer of the respective districts or any other person as notified by the State Government shall be the competent authority to collect the Cess in a manner as per the prescribed method." के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,
M. Prasad
19-10-2020
(मुकुल प्रसाद)
प्रभारी निदेशक, खान।

By E-Mail

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार मिश्रा,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक- 29-09-2020

विषय:-

"The Jharkhand Mineral Bearing Land (Covid-19 pandemic) Cess Rules, 2020"/"झारखण्ड खनिज धारित भूमि (Covid-19 Pandemic) सेस नियमावली, 2020" के नियम-9 के आलोक में "Covid-19 Pandemic Fund" हेतु खोले गये A/c details उपलब्ध कराने के संबंध में।

आपका पत्रांक-1053, दिनांक-31.07.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में कहना है कि "The Jharkhand Mineral Bearing Land (Covid-19 pandemic) Cess Rules, 2020"/"झारखण्ड खनिज धारित भूमि (Covid-19 Pandemic) सेस नियमावली, 2020" के नियम-9 के आलोक में "Covid-19 Pandemic Fund" के संग्रहण (Collection) हेतु भारतीय स्टेट बैंक, प्रोजेक्ट बिल्डिंग शाखा, धूर्वा, राँची में Joint Signatory सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के नाम से बचत खाता खोला गया है, जिसका खाता सं०-39692014223 है।

विदित हो कि झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (COVID-19 PANDEMIC) उपर्युक्त नियमावली 2020 अधिसूचना प्रकाशन की तिथि 11.09.2020 से प्रभावी है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (COVID-19 PANDEMIC) सेस उक्त प्रभावी तिथि से गणना करते हुए "Covid-19 Pandemic Fund" में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०- A/c details संलग्न।

सचिव कोषांग
खान एवं भूतत्व विभाग
पत्रांक- 2540
प्राप्ति का संत Email
दिनांक 29/9/2020

निदेशक कोषांग
खान निदेशालय
पत्र डा० सं०:- 1734
तिथि:- 30/9/2020

विश्वासभाजन
29/9/2020
(अंजनी कुमार मिश्रा)
सरकार के संयुक्त सचिव

TSTATE BANK OF INDIA

PROJECT BHAWAV, HATIA
AT+PO-HATIA
DIST: RANCHI
JHARKHAND

Ref. No : Date : 29/09/2020

Account No. : 3969201422-3

Type of Account : SBCHQ-DBT-GOVT AGENCY A/C-INR

Name of Customer : COVID-19 PANDEMIC FUND

Address of customer : REVENUE REGISTRATION & LAND REFORMS DEPT
PROJECT BUILDING, DHURWA
RANCHI
Ranchi - 834004

This is to certify that the balance standing to the credit of the above noted account as on 29/09/2020 is (INR) 0.00 [Rupees Zero and only.].

Branch Manager

